सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 11 फाल्गुन, 1942 (श०) / 02 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या **106**

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	67
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	01
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	15
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	06
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	04
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	04
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	01
(8)	परिवहन विभाग	..	..	06
(9)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	02
			कुल योग --	106

महाविद्यालय स्थापित करना

*656. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा के लिये गरीब विद्यार्थियों को पठन-पाठन के लिये बाहर जाना पड़ता है जिसके कारण उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब होती है, यदि हाँ, तो सरकार केसरिया विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*657. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखंड में सदभैली पंचायत के सदभैली गाँव में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सदभैली की चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण आवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण कराना

*658. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड के मनसारा पंचायत के मध्य विद्यालय, बड़गाँव को उच्च विद्यालय, बड़गाँव में उत्क्रमित किया गया है, जिसके भवन निर्माण हेतु भूमि भी उपलब्ध है परंतु यह विद्यालय वर्तमान में मध्य विद्यालय, मनसारा में ही संचालित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उच्च विद्यालय, बड़गाँव का भवन बड़गाँव में निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति

*659. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बच्चों के स्वस्थ पठन-पाठन का माहौल तैयार करने में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के पटना विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत पाँच हजार से अधिक पुस्कालयाध्यक्ष के पद रिक्त हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार के लाईब्रेरी पीएच0 डी0 साईंस नेट एण्ड पीएच0 डी0 होल्डर्स एसोशिएशन तथा प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग से पिछले तीन वर्षों से बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गयी ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति तिथि से ई0पी0एफ0 का लाभ दिलाना

*660. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0) का लाभ दिनांक 1 सितम्बर, 2020 के Prospective रूप से लागू किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कर्मचारी भविष्य अधिनियम, 1952 एक केन्द्रीय कानून है, जिसके नियमानुसार सभी कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 का लाभ नियुक्ति तिथि से ही लागू होगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) में वर्णित समस्या को दूर करने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रयोगशाला की स्थापना एवं तकनीकी शिक्षकों की बहाली

*661. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला एवं संबंधित विषयों के तकनीकी शिक्षक नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की स्थापना एवं तकनीकी शिक्षकों की बहाली करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*662. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत रतनी फरदीपुर प्रखंड के पंचायत झुनाठी के ग्राम-रसलपुर में प्राथमिक विद्यालय भवन के लिये जमीन अधिग्रहण है पर भवन नहीं रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई निजी भवन में हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम-रसलपुर में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*663. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि 5 वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में खेल को बढ़ावा देने हेतु स्टेडियम का निर्माण कराने का प्रावधान किया गया था, परन्तु शेखपुरा जिलान्तर्गत चेवाड़ा प्रखंड स्थित आजाद मैदान, चेवाड़ा स्टेडियम निर्माण हेतु सभी अर्हता रखने के बावजूद यहाँ अभीतक स्टेडियम निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जिला के वर्णित स्थल पर स्टेडियम का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

शेखपुरा जिलान्तर्गत चेवाड़ा प्रखंड के श्री बीजो जानकी +2 उच्च विद्यालय, एकाढ़ा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 111, दिनांक 13 जून, 2017 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतएव एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

दोषियों पर कार्रवाई

*664. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड के कुड़ासन गाँव के रामकेशी चन्द्रवंशी, लालमोहर बिंद तथा चन्द्रिका पासवान की मृत्यु दिनांक 6 फरवरी, 2021 को जहरीली शराब पीने से हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पूर्व शराबबंदी लागू है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जहरीली शराब से मरे हुए लोगों के परिवार को राहत देने एवं शराब धंधे में लिप्त दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ, तो क़बतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज की स्थापना

*665. श्री युसुफ सलाहउद्दीन (क्षेत्र संख्या-76 सिमरी बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड में उच्च शिक्षा लिए डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण उक्त प्रखण्ड के 22 पंचायतों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 22 कि0मी0 दूर सहरसा जाना पड़ता है साथ ही 30 प्रतिशत छात्र-छात्राएं डिग्री की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधूरे भवन को पूर्ण कराना

*666. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के प्रा0वि0, संतनगर में सर्व शिक्षा अभियान योजना वर्ष 2010-11 में 6 लाख 25 हजार की लागत से मकान का निर्माण प्रारम्भ किया गया, परन्तु मकान निर्माण कार्य अभीतक अधूरा पड़ा है, जिस कारण छात्रों के पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराना चाहती हैं, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*667. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा शहर में 20 वर्षों से बस पड़ाव से सेवा बन्द होने के कारण बस पड़ाव की भूमि को स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित बस पड़ाव की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल के मैदान को सही करना

*668. श्री मनोज मँजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखण्ड स्थित खेल का मैदान जर्जर स्थिति में है जबकि यहां सभी राजनीतिक पार्टियों की रैलियाँ भी होती हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त खेल के मैदान का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरित कर जांच कराना

*669. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण) --क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के नियमानुसार सरकारी कर्मी को एक जगह पर 3 वर्षों से ज्यादा समय तक पदस्थापित नहीं रहने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समेकित बाल विकास परियोजना के तहत सभी कार्यालयों में एक ही जगह 15-20 वर्षों से लिपिक संवर्ग के लोग पदस्थापित हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, वह पुनः उसी कार्यालय में पुनर्नियोजित हो गये हैं, जिससे कार्यालय में गलत गतिविधि को संचालित करते हुए आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, यथा श्री धनानंद झा पुनः पुनर्नियोजन के बाद एवं श्री जय नन्द झा पिछले कई वर्षों से उक्त कार्यालय में ही पदस्थापित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित प्रखंड सहित राज्य के अन्य प्रखंडों में समेकित बाल विकास परियोजना से संबंधित कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित कर जांच करवाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

संगीत शिक्षा प्रदान करना

*670. श्री चन्द्र शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत घैलाढ़, गम्हरिया, मुरलीगंज एवं मधेपुरा प्रखंड के सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में संगीत की पढ़ाई नहीं होने से ग्रामीण छात्र-छात्राओं में संगीत के प्रति रूचि जागृत नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड के विद्यालयों में संगीत शिक्षा प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*671. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड के पटखौलिया ग्राम के प्राथमिक विद्यालय, पटखौलिया को वर्ष 2007 में मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया था, परंतु भवन के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*672. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निदेशानुसार सोन नदी में बालू की निकासी मात्र साढ़े तीन फीट ही करना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत सोन नदी में बालू की निकासी 20 फीट तक की जा रही है जिससे सरकारी राजस्व को हानि हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई एवं मानक के अनुसार बालू का खनन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी का निर्माण

*673. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के बैरो प्रखंड अन्तर्गत मध्य विद्यालय-सह-उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, बैरो के चहारदीवारी का निर्माण कार्य एवं विद्यालय की जमीन दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने के कारण बाधित है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य संकाय शामिल करना

*674. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल स्थित श्री महंत शतानन्द गिरि कॉलेज में वाणिज्य संकाय में कोई सीट नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कॉलेज में वाणिज्य संकाय शामिल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय बढ़ाना

*675. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला सहित राज्य के अन्य जिलों के अक्षर आंचल योजनान्तर्गत शिक्षक सेवा एवं शिक्षा सेवक तालिमी मरकज कार्यरत हैं, जिन्हें 10,000 (दस हजार) रुपये का मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय स्थापित करना

*676. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड में महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रखंड में महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*677. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन हेतु शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का मानक अनुपात में होना आवश्यक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन एवं किशनगंज प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों के मानक अनुपात में शिक्षक नहीं है, जिसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में विद्यार्थियों के मानक अनुपात में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नीलगायों से फसल को बचाना

*678. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली एवं गुठनी सहित जिले के अन्य प्रखंडों में जंगली नीलगायों द्वारा फसलों को बर्बाद करने के कारण किसानों को आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार जंगली नीलगायों से फसलों को बचाने और किसानों को आर्थिक क्षति से उबारने हेतु कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिले में घोड़परास (नीलगाय) द्वारा फसल क्षति की छिटपुट घटनाओं की सूचना वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को प्राप्त है किंतु सीवान जिलान्तर्गत विशिष्ट रूप से दरौली एवं गुठनी में नीलगाय द्वारा फसल क्षति की सूचना नहीं है । जंगली घोड़परास (नीलगाय) से फसलों को बचाने और आर्थिक क्षति से उबारने के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या वन्यप्राणी 01/13/81 (ई०)/ प० व०, दिनांक 17 जनवरी, 2019 तथा मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के कार्यालय आदेश संख्या वन्यप्राणी-01-सह-पठित ज्ञापांक वन्यप्राणी 65, दिनांक 25 जनवरी, 2019 द्वारा घोड़परास (नीलगाय) पर प्रभावी नियंत्रण वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की अनुसूची-III के क्रमांक 14 पर स्थित वैसे घोड़परास (नीलगाय) जो किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान करते हों, को बिहार राज्य की सीमा के अन्तर्गत वन प्रमण्डल पदाधिकारियों को 100 तथा वन संरक्षक को 500 घोड़ापरास (नीलगाय) तथा जंगली सूअर को मारने हेतु अनुमति देने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई है ।

स्कॉलरशिप योजना का लाभ दिलाना

*679. श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के अनु० जाति/जन-जाति छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वित्तीय वर्ष 2017-18 से बन्द रहने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्व की भाँति इन छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण

*680. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद विधान सभा अंतर्गत सदर प्रखंड के ग्राम पंचायत नौगढ़ के ग्राम-भँवर बिगहा एवं देव प्रखंड के ग्राम पंचायत देव के ग्राम-चतुर बिगहा में प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं होने के कारण छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 2-3 किलोमीटर दूर के विद्यालय में जाना पड़ता है, जिससे बच्चों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा समिति का गठन कराना

*681. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा विधान सभा के पतरघट, सोनवर्षा, बनमा प्रखंड के अन्तर्गत आने वाले सभी उच्च विद्यालयों में वर्ष 2015 से ही शिक्षा समिति का गठन नहीं हुआ है, जिस कारण विद्यालय के विकास फन्ड को प्रधानाध्यापक द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिली-भगत कर रोक लगा दिया गया है, जिससे विद्यालय के विकास में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों के विद्यालय में शिक्षा समिति का गठन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वित्तरहित विद्यालयों का सरकारीकरण

*682. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर सभी वित्तरहित विद्यालयों को अनुदान देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटिया विधान सभा के बंकटवा के बाबूनन्द सिंह जगदीश राय उच्च विद्यालय, इनरवा फुलवार एवं बंजरिया प्रखण्ड के डॉ० जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल, सिसवनिया विद्यालयों की डिग्री की मान्यता एवं उपलब्ध संसाधन यथा जमीन-भवन के बावजूद सरकारीकरण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित वित्तरहित विद्यालयों को सरकारीकरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण

*683. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखण्ड कुचायकोट के जलालपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हितपट्टी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पकड़ी एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जलालपुर भवन-विहीन एवं अर्द्धनिर्मित चहारदीवारी रहने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का भवन एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आउटडोर स्टेडियम का निर्माण

*684. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड अकबरपुर के परतो करहरी पंचायत के गोपालपुर ग्राम में आउटडोर स्टेडियम नहीं रहने से प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*685. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बरारी प्रखण्ड के सिरकट्टा पंचायत के तेरासी गेरा टोला में प्राथमिक विद्यालय गेरा टोला का भवन नहीं रहने के कारण विद्यालय का संचालन 3 किलो मीटर दूर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सिकट में किये जाने से उक्त विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रैक का निर्माण

*686. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखंड रामगढ़ के ग्राम-महुअर में चहारदीवारी युक्त रामदयाल सिंह स्टेडियम 12 एकड़ में अवस्थित है तथा खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा 400 मीटर सिन्थेटिक ट्रैक के स्टेडियम निर्माण हेतु यह स्टेडियम सभी अर्हता रखता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत सिन्थेटिक ट्रैक का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कैमूर जिला के प्रखण्ड रामगढ़ के ग्राम-महुअर में चहारदीवारी युक्त रामदयाल सिंह स्टेडियम 12 एकड़ में अवस्थित में खेलो इण्डिया कार्यक्रम के तहत सिन्थेटिक ट्रैक के निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, कैमूर से प्रस्ताव की माँग विभागीय पत्रांक 260, दिनांक 17 फरवरी, 2021 द्वारा की गयी है।

खेलो इण्डिया योजना मार्गदर्शिका के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर सिन्थेटिक ट्रैक की स्वीकृति हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।

डिग्री कॉलेज स्थापित करना

*687. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य में प्रत्येक पंचायत में अनिवार्य रूप से +2 विद्यालय स्थापित या उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है, +2 की पढ़ाई कर लिये छात्र-छात्राओं के लिये धरहरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है, जिससे बहुत बड़ी आबादी डिग्री की पढ़ाई से वंचित रह रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधूरे भवन को पूर्ण करना

*688. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत फेनहारा प्रखंड में अवस्थित हाजी फरजन्द उच्च माध्यमिक (10+2) विद्यालय, फेनहारा के प्रांगण में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० के द्वारा विद्यालय का नया भवन निर्माण कार्य विगत सात वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था, जो अबतक अधूरा है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के अधूरे भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालिका विद्यालय बनाना

*689. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड गड़हनी, अगिआँव और चरपोखरी में एक भी बालिका विद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में बालिका विद्यालय बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*690. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के आमस प्रखंड के कलवन पंचायत स्थित चपरदह ग्राम एवं शेरघाटी प्रखंड के श्रीरामपुर पंचायत स्थित गरजूडीह पण्डितबिगहा में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँवों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्यूनतम वेतनमान और सेवा अवधि 65 वर्ष करना

*691. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 15/ए2-01/2014-943, दिनांक 22 मई, 2018 एवं विभागीय संकल्प संख्या 1594, दिनांक 20 अगस्त, 2014 तथा यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के आधार पर स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन अतिथि सहायक प्राध्यापकों की बहाली यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों के आधार पर किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम वेतनमान देने और सेवा अवधि 65 वर्ष करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति

*692. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''प्रभारी एच0एम0 के भरोसे ढाई हजार स्कूल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला में 3106 सरकारी स्कूल है, जिसमें 554 स्कूलों के पास स्थायी प्रधानाध्यापक है तथा 2552 स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यपाक द्वारा चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त 2552 सरकारी स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा शैक्षणिक कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, प्रभार में रहने के कारण शैक्षणिक कार्य बाधित होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गया जिला के सरकारी स्कूलों में स्थायी प्रधानाध्यापक की प्रतिनियुक्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की संख्या बढ़ाना

*693. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत फुलवरिया प्रखंड अन्तर्गत को-ऑपरेटिव इण्टर कॉलेज, कोयलादेवा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1426 है, लेकिन जिसमें मात्र 5 शिक्षक ही कार्यरत है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कॉलेज में मानक के अनुरूप शिक्षकों की संख्या कबतक बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*694. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत उर्दू मध्य विद्यालय, मोजाहिदपुर, उर्दू मध्य विद्यालय, खंजरपुर सहित अधिकांश उर्दू मध्य विद्यालयों का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सभी उर्दू मध्य विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस सेवा आरंभ करना

*695. श्री सत्यदेव राम (क्षेत्र संख्या-107 दरौली)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिलान्तर्गत गुठनी एवं दरौली प्रखंड से पटना के लिये सरकारी बस नहीं परिचालित है, जिससे पटना आने-जाने वाले यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित प्रखंडों से पटना के लिये सरकारी बस सेवा आरंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--निगम के बस बेड़े में गाड़ियों की कमी है । इसलिये वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है ।

उच्च विद्यालय का दर्जा देना

*696. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के पंचायत के तकिया पंचायत अन्तर्गत उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दादपुर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों एवं चहारदीवारी का निर्माण

*697. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड अन्तर्गत सैसड़ पंचायत में बापू स्मृति नगेश्वर पाठक उच्च विद्यालय, सैसड़ में छात्र-छात्राओं की संख्या 820 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं को पढ़ने वाला कमरा टूटा हुआ है एवं विद्यालय परिसर का चहारदीवारी भी नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में नये कमरों एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*698. ई0 शषि भूषण सिंह (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड रमगढ़वा एवं सुगौली में डिग्री कॉलेज नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शहीद स्मारक पार्क का निर्माण

*699. श्री मेवालाल चौधरी (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्र उन शहीदों की कर्मभूमि है, जो सन् 15 फरवरी, 1932 को तारापुर थाना पर तिरंगा फहराने के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे, यदि हाँ, तो क्या सरकार उनकी याद में तारापुर अनुमंडल कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी जमीन पर शहीद स्मारक पार्क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीय अनुपात की प्राप्ति

*700. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 27 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य के विश्वविद्यालयों में हजारों सीटें खाली'' के आलोक में क्या मंत्री शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में स्नातक (यू0जी0) स्नातकोत्तर (पी0जी0) एवं व्यवसायिक कोर्सों में अबतक नामांकन नहीं होने के कारण हजारों सीटें खाली है, जिस कारण उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी0 ई0 आर0) का राष्ट्रीय अनुपात 26 का लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी, यदि हाँ, तो क्या सरकार राष्ट्रीय अनुपात की प्राप्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी खोदने पर रोक हटाना

*701. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के अमौर प्रखंड के पलसा एवं बैसा प्रखंड के बैसाघाट के पूरब में स्थित जमीन किसानों की है एवं किसान उक्त भूमि से मिट्टी का उपयोग अपने घर खलियान के लिए करते हैं, जिसे खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा रोक दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विभाग द्वारा उक्त जमीन से मिट्टी खोदने पर रोक हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार

*702. श्री शमीम अहमद (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के बंजरिया प्रखण्ड के ग्राम- मोखलिशपुर में मध्य विद्यालय का भवन विगत 5 वर्षों से जर्जर रहने के कारण बच्चों एवं शिक्षकों को पठन-पाठन खुले आसमान के नीचे करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का वेतन भुगतान

*703. श्री आनन्द शंकर सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 69 विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश विभागीय ज्ञापांक 674, दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2015 के प्रभाव से प्रदान की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि मंत्री परिषद् की बैठक में दिनांक 31 जनवरी, 2015 को पत्रांक 1046 के द्वारा तीन करोड़ चौबीस लाख पचपन हजार की राशि उपलब्ध करायी गई थी, परंतु अभीतक शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*704. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय, चतरा के आस-पास मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु असुविधा हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्पोर्ट कम्प्लेक्स एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलना

*705. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया मुख्यालय में स्पोर्ट कम्प्लेक्स एवं प्रशिक्षण केन्द्र के अभाव में खिलाड़ियों को दूसरे जिलों में जाना पड़ता है जिससे उन्हें परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक खगड़िया मुख्यालय में स्पोर्ट कम्प्लेक्स एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराना

*706. श्री चन्द्र शेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के बालम गढ़ीया पंचायत के गढ़ीया ग्राम एवं भेलवा पंचायत के भेलवा ग्राम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य अवधि पूर्ण होने के तीन वर्ष बाद भी अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*707. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा केरेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हाँसा के मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर में तीन ओर से चहारदीवारी है किन्तु पश्चिम् की तरफ से चहारदीवारी निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पश्चिम् की ओर से भी चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सड़क को हटाना

*708. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, खान एवं भू-तत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के बारूण प्रखंड अन्तर्गत सोन नदी में केशोघाट, एनीकाड घाट सहित दर्जनों स्थानों पर बालू का अवैध खनन किया जाता है, एवं उक्त स्थानों पर नियमों की अवहेलना करते हुये ईंट सोलिंग कर ट्रकों का आवागमन कराया जाता है यदि हाँ, तो सरकार कबतक नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करते हुये ईंटों की सड़क को हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*709. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड के सेमरा पंचायत में सेमरा ग्राम में प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण उक्त ग्राम के बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त ग्राम में कबतक प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण

*710. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी घाट में पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा के लोग दाह-संस्कार के लिये आते हैं, लेकिन शवदाह गृह के अभाव में यत्र-तत्र लाश जलाये जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ गंगा भी प्रदूषित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार मनिहारी घाट पर कबतक शवदाह गृह निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

10+2 का दर्जा दिलाना

*711. श्री मेवालाल चौधरी (क्षेत्र संख्या-164 तारापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत के झुनझुनिया ग्राम अवस्थित आदर्श मध्य विद्यालय 10+2 में उत्क्रमित की सभी अर्हताएँ रखता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को 10+2 का दर्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिवहन विभाग की बस चलाना

*712. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बोखड़ा प्रखंड से भाया नानपुर बाजपट्टी होते हुये सीतामढ़ी तक एवं सीतामढ़ी से बाजपट्टी भाया कुमा होते हुये भिट्ठा मोड़ तक परिवहन विभाग की बस नहीं चलने के कारण वहां के लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित स्थानों पर परिवहन विभाग की बस चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़ा में बसों की कमी है । फलस्वरूप सभी जिलों के प्रमुख मार्गों पर बसों का परिचालन कराया जा रहा है ।

वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी बस का परिचालन

*713. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के सरकारी बस स्टैण्ड, गया से परैया, गुरारु होते हुये रफीगंज (जिला-औरंगाबाद) प्रखंड मुख्यालय तक सरकारी बस परिचालन के अभाव में प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफिक किराया वसूली के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्ग पर सरकारी बस परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--निगम के बस बेड़े में गाड़ियों की कमी है । इसलिये वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है ।

प्राईवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफिक किराया वसूलने संबंधी तथ्य की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को विभागीय पत्रांक-1232, दिनांक 19 फरवरी, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है ।

सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों का नियोजन

*714. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12 में आयोजित (STET) उत्तीर्ण छात्रों के लिये सरकार दिनांक 1 जून, 2019 ने नियोजन होने तक के विस्तारित करने का आश्वासन दिया था और 2 साल बीतने के बाद भी उनका नियोजन नहीं हो सका है एवं दिनांक 15 अगस्त, 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 33916 माध्यमिक शिक्षक के पद को छठे चरण में जोड़ने का आदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामाजिक विज्ञान के तकरीबन 5425 अभ्यर्थी अब भी नियोजन की आस में हैं, लेकिन छठे चरण के नियोजन में 33916 पदों में इनके लिये महज 500 सीटों की व्यवस्था की गई , जबकि बिहार में 5520 उत्क्रमित विद्यालयों में इस विषय के शिक्षक नहीं हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 2011-12 में उत्तीर्ण (STET) छात्र-छात्राओं के प्रमाण-पत्र की वैधता एक बार फिर से बढ़ाने और सामाजिक विज्ञान के 5425 अभ्यर्थियों के नियोजन का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*715. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत बनमा इटहारी प्रखंड के सरबैला पंचायत के वार्ड नं0-14 के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 88 में वर्ष 2015 से 2020 के बीच में फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार नियुक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं के प्रमाण-पत्र की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समाहर्ता कोर्ट में लंबित मामलों का निष्पादन

*716. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को प्रकाशित शीर्षक ''डी0एम0 कोर्ट में दम तोड़ रहा शराबबंदी का संकल्प'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी के संकल्प के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान जब्त वाहनों एवं सम्पत्ति अधिग्रहण का कुल 30664 प्रस्ताव समाहर्ता न्यायालय में भेजा गया है जबकि मात्र 8314 प्रस्तावों पर ही समाहर्ता कोर्ट में फैसला अभीतक हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मामलों के निष्पादन की गति धीमी होने के कारण समाहर्ता कोर्ट में वाहन एवं आवास अधिग्रहण के 22350 मामले लम्बित हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार समाहर्ता कोर्ट में लंबित मामलों को निष्पादित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गड्ढे में मिट्टी भराना

*717. श्री अचमित ऋषिदेव (क्षेत्र संख्या-47 रानीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत परसाहाट के मध्य विद्यालय, नगराही के विद्यालय प्रागंण के नौ कट्ठा भू-खंड में गड्ढा है, जिसमें बरसात के दिनों में पानी जम जाता है, जो छोटे-छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गड्ढे में मिट्टी भरवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई

*718. श्री सुरेन्द्र मेहता (क्षेत्र संख्या-142 बछवाड़ा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत गोविन्दपुर पंचायत के सूरो ग्राम में स्थित प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का पुराना भवन जर्जर है तथा नया भवन का निर्माण अधूरा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कबतक उक्त अधूरा भवन को पूर्ण कराते हुए विलंब के लिए दोषी संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का भवन निर्माण

*719. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड कल्याणपुर के भुवन छपरा पंचायत में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, भुवन छपरा भवनहीन है, इस विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राएँ फूस के बने घर में पठन-पाठन करते हैं जबकि सरकारी भूमि एक एकड़ उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के प्रांगण में सरकारी परती (भूमि) पर विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण कराना

*720. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखण्ड में कोई स्टेडियम नहीं होने से इस क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रखण्ड के सिहपुर ग्राम में स्टेडियम के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अधीन प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम के निर्माण की योजना है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर स्टेडियम के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखण्ड के रेहल के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 679, दिनांक 11 जनवरी, 2018 द्वारा दी जा चुकी है।

अतएव एक ही प्रखण्ड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) उत्तर खण्ड (2) में सन्निहित है।

इनडोर स्पोटर्स भवन का निर्माण

*721. श्री समीर कुमार महासेठ (क्षेत्र संख्या-36 मधुबनी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खेलो इंडिया के तहत इनडोर स्पोटर्स भवन का निर्माण किया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत राजकीय अंबेडकर बालिका उच्च विद्यालय, मधुबनी में इनडोर स्पोटर्स भवन निर्माण हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में उपलब्ध जमीन पर खेलो इंडिया योजना के तहत इनडोर स्पोटर्स भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज का निर्माण

*722. श्री अखतरुल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बैसा प्रखंड में प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन हेतु 80 कि0मी0 दूर पूर्णियाँ जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान पर कन्या उच्च विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का जीर्णोद्धार एवं शिक्षकों का पदस्थापन

*723. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत प्रखंड अरवल +2 जि० ए० उच्च विद्यालय में कृषि संकाय का एकल विद्यालय है, विद्यालय का भवन भी जर्जर स्थिति में है तथा कृषि संकाय शिक्षक के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का भवन जीर्णोद्धार एवं कृषि संकाय के शिक्षक का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*724. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में माध्यमिक उच्च विद्यालय, नारायणपुर के 26 एकड़ जमीन को लीज पर खेती हेतु दिसम्बर, 2020 में अंके 2,07,000 (दो लाख सात हजार) रु० में डाक हुआ था, जिसे अभीतक विद्यालय में जमा नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माध्यमिक उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति के पदेन सदस्य प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, जिन्होंने अभीतक इस पर संज्ञान नहीं लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुये दोषी पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फसलों का मुआवजा देना

*725. श्री मोहम्मद इसराईल मंसुरी (क्षेत्र संख्या-95 कांटी)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कांटी मरवन सहित पूरे मुजफ्फरपुर जिले में नीलगाय और बन्दर से फसलों एवं आमजन को नुकसान हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार नीलगाय से किसानों के बर्बाद हुये फसलों का मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाईब्रेरियन का नियोजन करना

*726. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर) --स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 03 मार्च, 2020 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य के स्कूलों में 12 वर्षों से नहीं हुई लाईब्रेरियन की नियुक्ति" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्णयानुसार राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ पाँच सौ से अधिक पुस्तकें होंगी, वहाँ एक पुस्तकालय और लाईब्रेरियन की नियुक्ति होगी के आलोक में वर्ष 2008 में 2547 सृजित पदों के विरुद्ध अबतक मात्र 1896 लाईब्रेरियन का ही नियोजन हुआ है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष बचे विद्यालयों में लाईब्रेरियन का नियोजन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि भुगतान कराना

*727. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड पुरैनी के अधीन ग्राम पंचायत कुरसंड के स्त्रोन्नत मध्य वि०, बालाटोला में वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 में वर्ग-1 से वर्ग-8 के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं पोशाक की राशि नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कबतक राशि भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभुकों को पेंशन देना

*728. श्री निरंजन राय (क्षेत्र संख्या-88 गायघाट)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत गायघाट प्रखंड में बी० पी० एल० का सर्वेक्षण वर्ष 2002 के बाद भी अभीतक नहीं होने के कारण उक्त प्रखंड के 900 गरीब परिवार की महिला एवं पुरूष को पेंशन नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में बी० पी० एल० का सर्वेक्षण कराकर लाभुकों को पेंशन देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*729. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड पुरैनी के अधीन बासुदेव उच्च विद्यालय, नया टोला एवं मध्य विद्यालय, पुरैनी, प्रखंड आलमनगर के उच्च विद्यालय, रवापुर में वर्ष 2016-17 से स्टेडियम का निर्माण कार्य लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों में स्टेडियम का निर्माण कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत प्रखंड पुरैनी के अधीन बासुदेव उच्च विद्यालय, नया टोला एवं मध्य विद्यालय, पुरैनी, प्रखंड आलमनगर के उच्च विद्यालय, रवापुर स्वीकृत स्टेडियम निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निदेश विभागीय पत्रांक 249, दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*730. श्री भरत बिन्द (क्षेत्र संख्या-205 भभुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के प्रखंड भभुआ के पंचायत मिरिया ग्राम-बेहरा में महावीर 10+2 उच्च विद्यालय, कोलगावा में चहारदीवारी नहीं होने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन दिलाना

*731. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया विधान सभा क्षेत्र के चिरैया एवं पताही प्रखंड अन्तर्गत 1000 से अधिक वृद्धों एवं विधवाओं के अंगूठा एवं आँख का सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें वृद्धा पेंशन/विधवा पेंशन नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सत्यापन कराकर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा वृद्धा पेंशन/विधवा पेंशन से वंचित लोगों को पेंशन का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*732. श्री राजेश कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-104 हथुआ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड फुलवरिया में स्टेडियम नहीं है, परन्तु उक्त प्रखंड में स्थित कोयला देवा कॉपरेटिव इंटर कॉलेज मैदान में स्टेडियम निर्माण की सारी अर्हताएँ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मैदान में कबतक स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कसौटी पर खरा उतारना

*733. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 फरवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''कसौटी पर बिहार के 28 प्रतिशत स्कूल ही खरे'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''फिट इंडिया स्कूल प्रमाणीकरण'' में बिहार के 72 प्रतिशत सरकारी स्कूल कसौटी पर खरे नहीं उतर पाये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व आधारभूत संरचनाओं के विकास में टॉप रहने वाले जिले भी भारत सरकार के ''फिट इंडिया मूवमेंट'' योजनान्तर्गत ''फिट इंडिया स्कूल प्रमाणीकरण'' में सबसे पीछे है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के शत-प्रतिशत स्कूलों को ''फिट इंडिया मूवमेंट'' की कसौटी पर खरा उतारने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*734. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट पंचायत बलुअन् सागर के गंगाजली के परिसर में स्टेडियम नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस इलाके का सबसे बड़ा खेल मैदान उक्त गंगाजली का परिसर ही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खाली जमीन पर स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट के उच्च विद्यालय, सोनहुला में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 391, दिनांक 17 नवम्बर, 2020 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतएव एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

(2) उत्तर खंड (1) में सन्निहित है ।

(3) उत्तर खंड (1) में सन्निहित है ।

चहारदीवारी का निर्माण

*735. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड स्थित श्री चन्द्रदयाल ठाकुर उच्च विद्यालय एवं गोराडीह प्रखंड स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की चहारदीवारी नहीं होने से असामाजिक तत्वों के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*736. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरूआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गुरारू प्रखंड के रैना पंचायत के ग्राम-शंकरविगहा में स्टेडियम का निर्माण नहीं होने के कारण खेल प्रेमियों को कठिनाई हो रही है, जबकि उक्त ग्राम में सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

गया जिलान्तर्गत गुरारू प्रखंड के ग्राम-डीहा के +2 उच्च विद्यालय, जगातीबर में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 113, दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतएव एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

अतिरिक्त कमरों एवं भवन का जीर्णोद्धार

*737. श्री महानंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला अन्तर्गत अरवल प्रखंड के उच्च विद्यालय, पखरपुर एवं प्रखंड कलेर के उच्च विद्यालय, सोहसा में विद्यालय का भवन जीर्ण-शीर्ण एवं भवन की कमी है, जिसके कारण बच्चे-बच्चियों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित उच्च विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों एवं भवन का जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मृतक के परिवार को लाभ देना

*738. श्री चन्द्रहास चौपाल (क्षेत्र संख्या-72 सिंहेश्वर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कबीर अन्त्येष्टि की राशि विगत दो वर्षों से मृतक के लाभुकों को नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मृतक के परिवार को उक्त लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*739. श्री राजेश कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-208 सासाराम)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में तिलौथू प्रखण्ड के ग्राम-केरपा के सटे उचैला खेल का मैदान है, जिसका खाता सं० 39, प्लॉट नंबर 240, थाना नं० 283 बिहार सरकार का है और उक्त प्लॉट पूर्णतः खाली है, जो खेल के मैदान के लिये उपयुक्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्लॉट पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*740. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्षेत्र संख्या-90 मीनापुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मीनापुर प्रखंड के राम कृष्ण उच्च विद्यालय, मीनापुर में अवस्थित स्टेडियम का चहारदीवारी एवं ग्राउंड पूरी तरह से जर्जर एवं खराब होने के कारण खेल आयोजन अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम के ग्राउंड एवं चहारदीवारी के जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मीनापुर प्रखंड के राम कृष्ण उच्च विद्यालय, मीनापुर में अवस्थित स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्रस्ताव की माँग विभागीय पत्रांक 258, दिनांक 17 फरवरी, 2021 द्वारा की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन

*741. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोकमानपुर में भौतिक, रसायन, गणित एवं अंग्रेजी विषय का शिक्षक नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बालू खनन रोकना

*742. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के बाल्मिकीनगर, सेमरा-लबेदहां, मानपुर जैसे कई जगहों पर इको सेन्सेटिव जोन में राज्य सरकार द्वारा बालू खनन कराये जाने के कारण वन्य जीवों, वन्य एवं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इको सेन्सेटिव जोन में बालू खनन रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मध्य विद्यालय में उत्क्रमित करना

*743. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बिहियां अंचल के अन्तर्गत ग्राम-बारा में प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित (अपग्रेड) के लिये लगभग चार वर्ष पूर्व ही प्रक्रिया शुरू हुयी थी, जो अभीतक लंबित है, जबकि प्राथमिक विद्यालय को सरकारी जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित (अपग्रेड) करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मती एवं चहारदीवारी का निर्माण

*744. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के दिनारा प्रखण्ड अन्तर्गत आर्दश उच्च विद्यालय, सेमरा में छात्र-छात्राओं की संख्या 430 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का भवन जर्जर अवस्था में है एवं चहारदीवारी नहीं होने के कारण बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का मरम्मती एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनाना

*745. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के पकरीबरावां प्रखंड में इंटर विद्यालय, दोढ़ा को 8 वर्ष पूर्व इंटर विद्यालय बनने के बाद भी अभीतक इंटर भवन नहीं बन सका है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त विद्यालय में कबतक इंटर भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला महाविद्यालय खोलना

*746. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत बारसोई अनुमंडल में उच्च शिक्षा हेतु महिला महाविद्यालय नहीं रहने के कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 50 किलो मीटर दूर कटिहार स्थित महिला महाविद्यालय जाना पड़ता है, जिसके कारण छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल के कदवा प्रखंड में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*747. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा सदर प्रखंड के शहवाजपुर पंचायत में एक भी +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में गठित शिक्षा समिति में शहवाजपुर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय, मब्बी को +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु 18 माह पूर्व ही निर्णय लिया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रबंधन समिति का पुनर्गठन

*748. श्री अजय यादव (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नये विधान सभा के गठन के बाद सभी उच्च विद्यालयों को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहुत कर नये सिरे से प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करने का नियम है, यदि हाँ, तो क्या सरकार गया जिला अन्तर्गत अतरी विधान सभा के सभी प्रखंडों के उच्च विद्यालयों में प्रबंधन समिति के पुनर्गठन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव कराना

*749. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अनिवार्य शिक्षा कानून, 2009 की धारा 13 (1) के तहत राज्य के सभी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के 3 वर्षों का कार्यकाल सितम्बर 2020 में समाप्त हो गया है, कोविड-19 के कारण समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के सभी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में कबतक विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*750. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारसलीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे बिहार के सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय को इंटर विद्यालय में उत्क्रमण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में इंटर विद्यालय सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इंटर विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*751. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखण्ड कोटवा मुख्यालय में अवस्थित हाईस्कूल के प्रांगण में खेल स्टेडियम नहीं होने के कारण नामांकित छात्र-छात्राओं को खेल-कूद में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार हाई स्कूल, कोटवा के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के अंतर्गत कोटवा प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक 250, दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा की गयी है।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

*752. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के सभी अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलांतर्गत कहलगांव अनुमंडल में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा हेतु 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भागलपुर मुख्यालय में नामांकन कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वे तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातकोत्तर एवं वाणिज्य की पढ़ाई प्रारंभ कराना

*753. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के एकमात्र महाविद्यालय के0के0एम0 कॉलेज में स्नातकोत्तर एवं वाणिज्य की पढ़ाई नहीं होने के कारण जमुई जिला के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिये अन्यत्र जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार के0के0एम0 कॉलेज, जमुई मे स्नातकोत्तर एवं वाणिज्य की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*754. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी जिलांतर्गत मेहसी प्रखण्ड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, भगवतिया मठ भवनहीन होने के कारण यह विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बबुरवन में संचालित किया जा रहा है, जिससे गाँव के छोटे बच्चों को पढ़ाई करने अन्यत्र दूसरे गाँव बबुरवन जाने में परेशानी होती है, जबकि मौजा भगववतिया, खाता 03, खेसरा 359, रकवा 3.14 (3 बीघा 14 कट्ठा) में विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भगवतिया मठ में विद्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*755. <u>श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी)</u>--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत अम्बा ब्रिक्स, बाघमारा, मनिहारी, बाबा ब्रिक्स, नारायणपुर मनिहारी, नैना ब्रिक्स कब्रगाह मनिहारी इत्यादि मनिहारी अनुमंडल के सभी ईंट भट्ठा मालिक बारह हजार रुपये प्रति हजार की दर से ईंटों की बिक्री कर रहे हैं और बिक्री रशीद भी नहीं देते हैं, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर से ईंट बेचने वाले भट्ठा मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*756. <u>श्री इजहारुल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)</u>--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के पथ एन०एच० 31 के अन्तर्गत रामगंज से किशनगंज जिला मुख्यालय तक राज्य परिवहन बस का परिचालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उक्त प्रखंड के आमजनता को आवागमन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार परिवहन बस का परिचालन कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>--बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़ा में बसों की कमी है। फलस्वरूप सभी जिलों के प्रमुख मार्गों पर बसों का परिचालन कराया जा रहा है।

वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है।

कमरे का निर्माण कराना

*757. <u>श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)</u>--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड में श्री नंदकेश्वर प्रसाद उच्च विद्यालय +2, बहरामपुर में मात्र दो कमरे हैं, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में कमरे का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बजट में प्रावधान

*758. <u>श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)</u>--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का गठन 1981 में हुयी थी, के बाद आजतक बोर्ड के स्थापना मद में राशि नहीं दी गयी है, छात्रों की संख्या में कमी होने के कारण बोर्ड के कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बोर्ड की बैठक दिनांक 21 जनवरी, 2021 में लिये गये निर्णय के आलोक में विभाग से 5,29,42,088 (पाँच करोड़ उनतीस लाख बेयालिस हजार अठासी) रुपये प्रतिवर्ष स्थापना मद में बजट का प्रावधान करने हेतु विभाग से माँग की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बोर्ड के स्थापना मद में उक्त राशि का बजट में प्रावधान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वृद्धाश्रम का निर्माण

*759. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वृद्धों के सेवा-सुश्रुषा एवं आवासन हेतु शहरों में वृद्धाश्रम का निर्माण कराने का 5 वर्ष पहले निर्णय लिया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में वृद्धों के आवासन हेतु एक भी वृद्धाश्रम नहीं होने से बुजुर्गों को परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झंझारपुर में वृद्धाश्रम का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस टर्मिनल की स्थापना

*760. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर में परिवहन की सुविधा नगण्य है, जिसके कारण गरीबों को सस्ते दर पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर के तिलकामांझी बस डीपों जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बस डीपों में टर्मिनल की स्थापना कर सस्ते दर पर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) एवं (2) अस्वीकारात्मक है। निगम के तिलकामांझी भागलपुर बस पड़ाव से यात्रियों की सुविधा हेतु भागलपुर से पटना, मुंगेर, भागलपुर से पूर्णियाँ, भागलपुर से कटिहार, भागलपुर से बेगूसराय, भागलपुर से बाँका तक की परिवहन सुविधा उपलब्ध है ।

(3) तिलकामांझी बस पड़ाव के सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु कार्य योजना निगम के द्वारा बनायी जा रही है इसी क्रम में नगर निगम, भागलपुर के द्वारा बस पड़ाव पर यात्रियों के सुविधा के लिये शौचालय एवं रौशनी की व्यवस्था की जा रही है ।

चहारदीवारी का निर्माण कराना

*761. श्रीमती रेखा देवी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढ़ी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत धनरूआ प्रखंड में राजकीयकृत उच्च विद्यालय +2, बाँस बिगहा का चहारदीवारी नहीं होने के कारण ग्रामीणों द्वारा जमीन अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे छात्र-छात्राओं को खेलकूद में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 02 मार्च, 2021 (ई०)।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 109 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी० -550